संख्या: 116/2018/1670/छप्पन-2018-52/2017

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन विभाग लखनऊ, दिनांक 26 नवम्बर, 2018

विषय: उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 (UPCAPP-2017)-Version 2.0 के अन्तर्गत आर0सी0एस0 वायुसेवा हेतु दिए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहनों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-281/ना0उ0नि0/2018 दिनांक 23 अगस्त, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 में कतिपय संशोधन करते हुए अधिसूचना संख्या-1290/छप्पन-2018-52/2017 दिनांक 13 अगस्त, 2018 द्वारा संशोधित नीति '' उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 (UPCAPP-2017)-Version 2.0'' अधिसूचित की गई है।

3- (UPCAPP-2017)-Version 2.0 में आर0सी0एस0 वायुसेवा के लिए नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की गई है:-

(1) <u>ए0टी0एफ0 पर वैट अदायगी में छूट</u>

नीति में व्यवस्था

8.5.2.1: VAT on ATF will be waived off for ten years on all RCS flight that commence after 01.04.2017 from the date of commencement of operation or from the date of issuance of "State Incentive Eligibility Certificate", whichever is later.

उक्त प्रोत्साहन के सम्बन्ध में संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें यह व्यवस्था है कि निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा "State Incentive Eligibility Certificate" जारी करने के बाद एयरलाइन्स कम्पनी को यह प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

प्रक्रिया

ए0टी0एफ0 पर वैट अदायगी में छूट प्रदान करने के लिए एयरलाइन्स कम्पनी द्वारा आवेदन करने पर निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा सम्यक् परीक्षणोपरान्त शासन से अनुमोदित

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप पर "State Incentive Eligibility Certificate" जारी किया जाएगा और उसकी एक प्रति संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) <u>20% वी0जी0एफ0 (राज्यांश) का भुगतान</u>

नीति में व्यवस्था

8.5.2.2: State's Share of 20% on VGF seats 50% (<20 seats) of total seats (<40 seats)will be provided for a duration as stipulated under RCS from date of operation as decided by Airports Authority of India.

प्रक्रिया

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम हेतु कार्यान्वयन संस्था (Implementing Agency) है और इस हेतु प्राधिकरण द्वारा Regional Air Connectivity Fund Trust (RACFT) बनाया गया है जो वी0जी0एफ0 एकत्रित करके सम्बन्धित एयरलाइन्स कम्पनी को भुगतान करता है। वी0जी0एफ0 की 80% धनराशि का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा तथा 20% धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। 20%वीजी0एफ0 धनराशि का भुगतान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की मांग पर निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा विभागीय आय-व्ययक से किया जाएगा।

(3) <u>सीट अण्डरराइटिंग</u>

नीति में व्यवस्था

8.5.2.3 A(1): For aircraft under Category-1 as per RCS categories (passenger seatcapacity <=20) and connecting Lucknow with Divisional headquarters through a direct flight on RCS routes, 100% of non-VGF seats (up to maximum of 300 seats per month per one way trip) shall be eligible for seat underwriting by state government initially for three years from date of commencement of operation or from the date of issuance of "State Incentives Eligibility Certificate"' whichever is later.

8.5.2.3 A(2): For aircraft under Category-2 and 3 (passenger seat capacity >20) and connecting RCS airports other than as indicated in clause(1) above; 30% of non-VGF seats (up to maximum of 360 seats per month per one way trip) shall be eligible for seat underwriting by state government initially for three years from date of commencement of operation or from the date of issuance of "State Incentives Eligibility Certificate"' whichever is later.

प्रक्रिया

सीट अण्डरराइटिंग के लिए एयरलाइन्स कम्पनी द्वारा आवेदन करने पर निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त शासन से अनुमोदित प्रारूप पर "State Incentive Eligibility Certificate" जारी किया जाएगा। उक्त "State Incentive Eligibility Certificate" के आधार पर एयरलाइन्स कम्पनी द्वारा रिक्त underwritten seats हेतु धनराशि की मांग के सम्यक परीक्षणोपरान्त निदेशक द्वारा विभागीय आय-व्ययक से भुगतान किया जाएगा।

3/ --

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

इस प्रोत्साहन धनराशि को प्राप्त करने के लिए एयरलाइन्स कम्पनी को राज्य सरकार की underwritten seats की बुकिंग हेतु अपनी web services का interface राज्य सरकार की website/software से लिंक की जाएगी। साथ ही, नीति में उल्लिखित seat booking mechanism का अनुपालन भी एयरलाइन्स कम्पनी द्वारा किया जाएगा।

छूट- "State Incentive Eligibility Certificate" जारी होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा website/software विकसित करने तथा उसे एयरलाइन्स की services के साथ ऑनलाईन जोड़े जाने तक की अवधि की सीट अण्डरराइटिंग का भुगतान शासन की अनुमति प्राप्त कर किया जाएगा।

(4) एयरटिकट की बिक्री पर राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले एस0-जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति

नीति में व्यवस्था

8.5.2.4: The airlines will be reimbursed an amount (to be retained by airlines) equivalent to S-GST received by state government on account of sale of air tickets on RCS flight on monthly basis for three yaesr from the date of commencement of operations or from the date of issuance of eligibility certificates, whichever is later.

प्रक्रिया

एयरटिकट की बिक्री पर राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले एस-जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति के लिए एयरलाइन्स कम्पनी द्वारा आवेदन करने पर सम्यक परीक्षणोपरान्त निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा शासन से अनुमोदित प्रारूप पर "State Incentive Eligibility Certificate", जारी किया जाएगा और उसकी एक प्रति संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त "State Incentive Eligibility Certificate", के आधार पर एयरलाइन्स कम्पनी द्वारा एयरटिकट पर भुगतान किए गए एस-जी0एस0टी0 के अभिलेख उपलब्ध कराते हुए प्रतिपूर्ति की मांग निदेशक, नागरिक उड्डयन को प्रस्तुत की जाएगी, जिसका सत्यापन निदेशक द्वारा Tax Assessment Officer से कराते हुए विभागीय आय-व्ययक से भुगतान किया जाएगा।

(5) आर0सी0एस0 एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट पार्किंग /नाइट हाल्ट

नीति में व्यवस्था

8.5.2.5: On all the RCS airports managed by state government, airlines will not be charged any fee or charges for parking aircraft or night halts at RCS airports.

प्रक्रिया

राज्य सरकार के अधीन आर0सी0एस0 एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट पार्किंग /नाइट हाल्ट की सुविधा हेतु एयरलाइन्स कम्पनी द्वारा आवेदन करने पर सम्यक परीक्षणोपरान्त निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा यथावश्यक अनुमति नीति में दर्शायी गई अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।

4/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) <u>राज्य सरकार के अधीन आर0सी0एस0 एयरपोर्ट पर एयरलाइन्स के कार्यालय हेतु space</u>

नीति में व्यवस्था

8.5.2.6: Office space of about 100 sqm will be provided on lease basis free of cost at No-Frills Airports in U.P.

प्रक्रिया

राज्य सरकार के अधीन आर0सी0एस0 एयरपोर्ट्स पर एयरक्राफ्ट के कार्यालय हेतु space के लिए एयरलाइन्स कम्पनी द्वारा किए गए आवेदन के सम्यक परीक्षणोपरान्त निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा यथावश्यक अनुमति जारी की जाएगी। space को 03 वर्ष के लिए लीज पर दिया जाएगा और इस हेतु निदेशक द्वारा एयरलाइन्स कम्पनी के साथ रू0 100/- के स्टैम्प पर अनुबन्ध निष्पादित किया जाएगा ।

(7) <u>रूट नैविगेशन एण्ड फैसिलिटेशन चार्जेज (आर0एन0एफ0सी0)</u>

नीति में व्यवस्था

8.5.2.7: 50% of RNFC upto Rs. 2000 will be reimbursed on RCS airports or flights connecting divisional hqrs to Lucknow (initially for 3 years).

प्रक्रिया

रूट नैविगेशन एण्ड फैसिलिटेशन चार्जेज (आर0एन0एफ0सी0) की प्रतिपूर्ति हेतु एयरलाइन्स कम्पनी द्वारा आवेदन करने पर निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा आवश्यक अनुमति प्रदान की जाएगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्गत किए गए आर0एन0एफ0सी0 इन्वाईस के अनुसार 50% धनराशि के भुगतान हेतु एयरलाइन्स कम्पनी द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 को अपनी मांग प्रस्तुत की जाएगी। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा परीक्षणोपरान्त आर0एन0एफ0सी0 की प्रतिपूर्ति विभागीय आय-व्ययक से की जाएगी।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या-116/2018/1670(1)/छप्पन-2018, तददिनांक</u>

1- अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली।
2- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, न्याय /राजस्व/ऊर्जा/ गृह/ पर्यटन/ लोक निर्माण/ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास /परिवहन/ नगर विकास/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/समाज कल्याण/ पिछडा वर्ग कल्याण/ सूचना/वाणिज्य कर/ कार्मिक/ आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in